कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email Id-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / **613** / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक **08** / 07 / 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 459 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 30.05.2020 के द्वारा तहसील बसना अंतर्गत **ग्राम संतपाली** में एवं आदेश क्रमांक / 467 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 31.05.2020 के द्वारा सरायपाली तहसील अंतर्गत **ग्राम तोषगांव** में कोरोना वायरस (कोविड–19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।

02/ उपरोक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद द्वारा पत्र क्रमांक / कोविड–19 / 2020 / 1882 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि महासमुन्द जिलांतर्गत बसना विकासखण्ड के **ग्राम संतपाली** में एवं सरायपाली विकासखण्ड के **ग्राम तोषगांव** के कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों में आज दिनांक तक उक्त कंटेन्मेंट जोन में आने वाले ग्रामों में कोविड–19 के कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नही हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 380 लोगो का RT-PCR Sample, AIIMS Raipur भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुई है।

03/ उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 459 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 30.05.2020 के द्वारा तहसील बसना अंतर्गत **ग्राम संतपाली** में एवं आदेश क्रमांक / 467 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 31.05.2020 के द्वारा सरायपाली तहसील अंतर्गत **ग्राम तोषगांव** में घोषित कन्टेंनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोरोना वायरस (कोविड–19) का कोई भी धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज की पुष्टि नही होने, धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का AIIMS Raipur में प्रेषित सैंपल का परिणाम नकारात्मक (निगेटिव) आने के कारण **ग्राम संतपाली एवं तोषगांव को एतद्द्वारा कन्टेनमेंट जोन से मुक्त करते हुए उपरोक्त आदेश प्रभावहीन किया जाता है।**

04/ इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 उक्त ग्रामों में भी प्रभावशील होगा।

05/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

08-07-2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / **613** / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक **08** / 07 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधि. जनपद पंचायत, बसना / सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, बसना / सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क, महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)